न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 02/11
तारीख दायर :– 19/01/2018

उनवान

1. बदरी पुत्र मूला जाति माली उम्र करीब 75 निवासी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान – प्रार्थी वादी

बनाम

1. बाबू पुत्र मूला जाति माली उम्र करीब 60 साल निवासी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान
2. पप्पू पुत्र स्वर्गीय देवीसहाय जाति माली उम्र करीब 40 साल निवासी थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान – असल अप्रार्थी प्रतिवादीगण
3. तहसीलदार थानागाजी (भू–स्वामी) तहसील थानागाजी अलवर राजस्थान –तरतीबी प्रतिवादी

।। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी।।

उपस्थिति :–

1. श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल, एडवोकेट वादीगण।
2. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादीगण।

न्यायालय द्वारा :–

निर्णय दिनांक :– 19.07.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी के खाता संख्या 311 हाल खसरा नम्बर 1852 रकबा 0.61, 1853 रकबा 0.04, 1855 रकबा 0.02, 1856 रकबा 0.28, 2537 रकबा 0.61, 2539 रकबा 0.45, 2540 रकबा 0.19, 2541 रकबा 0.66, 2542 रकबा 0.18 कुल किता 09 कुल रकबा 3.04 है. ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है कि जिस आराजी की बाबत वादी प्रार्थी ने उक्त अनुवानी दावा तकसीम व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रास्तुत किया था जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर दिनांक 21.06.2017 को प्रारम्भिक तौर पर निर्णित व डिक्री कर इस न्यायालय द्वारा पक्षराकरान के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा व मौका व कब्जा अनुसार तकसीम करने के आदेश दिये है तथा इस हेतु तहसीलदार थानागाजी को आराजी तकसीम कर कुर्रेजात कायम कर कुर्रे रिर्पोट मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अहकाम जारी कर दिया है जो कार्यवाही तहसीलदार थानागाजी के यहां विचाराधीन है जो कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त इस न्यायालय द्वारा फाईनल डिक्री पारित किया जाना बाकी है। इस वाद में कुर्रेजात मय नक्शा बनने से पूर्व व फाईनल डिक्री पारित होने से पूर्व ही प्रतिवादी अप्रार्थीगण विद्युत निगम के कार्यालय को गलत तथ्यों से अवगत कराकर उक्त आराजीयात में सिंचाई हेतु शामलाती 2 बोरिंग लग रहे है जिनमें वादी प्रार्थी का भी 1/3 हिस्सा है, में अपने नाम से विद्युत कनेक्शन लेना चाहते है जबकि फाईनल डिक्री पारित होने से पूर्व उनको विद्युत कनेक्शन लेने का कोई अधिकार नही है, नही वादी प्रार्थी की सहमति के बिना

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

विधुत कनेक्शान लेने का अधिकार है लेकिन उक्त प्रतिवादी अप्रार्थीगण बाज नही आ रहे फाईनल डिक्री पारित होने में समय लगेगा और यदि इस दरम्यान प्रतिवादी अप्रार्थीगण शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में बनी बोंरिगो में विद्युत कनेक्शन लेने में कामयाब हो गए तो पक्षकारों में अनुचित वाद विवाद बढेगा तथा इस न्यायालय द्वारा न्यायोचित फाईनल डिक्री पारित नही की जा सकेगी जिस कारण प्रतिवादी अप्रार्थीगण को फाईनल डिक्री पारित होने के उपरान्त अलग खाता कायम होने तक विवादित आराजी में किसी प्रकार का विद्युत कनेक्शन नही लिए जाने के लिए जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किये जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रथम द्रष्टया मामला, सुविधा व न्याय का संतुलन तथा नापूर्ति होने वाली हानि वादी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी आयद व साबित है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो उक्त आराजी में हो रही बोरिगों में इस न्यायालय द्वारा फाईनल डिक्री पारित करने तथा अलग खाता कायम करने तक किसी प्रकार का विद्युत कनेक्शन प्राप्त नही करे तथा कोई नवीन कच्चा पक्का निर्माण नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण सं. 01 द्वारा उपसंजात होकर जवाब पेश किया गया जिसमें निवेदन किया गया कि उक्त आराजी में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.06.2017 को प्रारम्भिक डिक्री कर पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा, मौका व कब्जा अनुसार तकसीम करने के आदेश दिये है तथा तहसीलदार थानागाजी को आराजी तकसीम कर कुर्रेजात कायम कर कुर्रे रिर्पोट मय नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अहकाम जारी कर दिया है, वादी ने विद्युत विभाग को गलत तथ्यों पर स्टे आदेश दिखाकर विद्युत कनेक्शन जबरन ही रूका दिया है जबकि दिनांक 21.06.2017 को दावा प्रारम्भिक डिक्री हो चुका है और पूर्व में प्रार्थना पत्र में टी.आई. दी गयी थी,वो भी दिनांक 21.06.2017 को ही खारिज हो चुकी है। इसके बावजूद भी प्रार्थी ने नई टी.आई अप्रार्थी को परेशान करने व विद्युत कनेक्शन मे देरी होने के लिए की है। इससे अप्रार्थी की फसल सूख रही है और अदालत का कीमती समय बर्बाद हो रहा है तथा यह कानून के खिलाफ है। प्रार्थी के हक में प्रथम द्रष्टया न्याय व सुविधा का संतुलन भी साबित नही है, प्रार्थी को कनेक्शन रूकवाने का कोई अधिकार नही है क्योंकि विभाग को विद्युत कनेक्शन करने में कोई फाईनल डिक्री की आवश्यकता नही है। अतः प्रार्थी की टी आई मय हर्जा खर्चा खारिज फरमायी जावे। अप्रार्थीगण सं. 02 बावजूद तामिल अनुपस्थित, अतः उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह कहा जाना कि यदि अप्रार्थीगण शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी में बनी बोरिगों में विद्युत कनेक्शन लेने में कामयाब हो जाता है तो पक्षकारों मे विवाद बढेगा और इस न्यायालय द्वारा न्यायोचित फाईनल डिक्री पारित नही की जा सकेगी, उचित नही है क्योंकि विद्युत कनेक्शन लेना वर्तमान समय में मूलभूत आवश्यकता में शामिल है तथा इसकी अनुपस्थिति में अप्रार्थीगण की काश्त कार्य में अनावश्यक परेशानी हो रही है तथा काश्त की लागत भी बढ रही है जिससे कृषि भूमि की उपज पर विपरीत प्रभाव होना स्वाभाविक है। प्रार्थी के पास स्वंय का विद्युत कनेक्शन है तथा यह स्पष्ट है कि इस प्रार्थना पत्र के द्वारा वह अप्रार्थी को विद्युत कनेक्शन लेने से रोकना चाहता है। अप्रार्थी के विद्युत कनेक्शन लेने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति नही होगी। अतः प्रथम द्रष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अतः आदेश दिये जाते है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 बाबत आराजी खाता संख्या 311 हाल खसरा नम्बर 1852 रकबा 0.61, 1853 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

0.04, 1855 रकबा 0.02, 1856 रकबा 0.28, 2537 रकबा 0.61, 2539 रकबा 0.45, 2540 रकबा 0.19, 2541 रकबा 0.66, 2542 रकबा 0.18 कुल किता 09 कुल रकबा 3.04 है. ग्राम थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर को खारिज किया जाता है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी

Scanned by CamScanner